

14.11.14
14.11.14

परिशिष्ट - 6
(पृष्ठ 3 - कड़िका 9(ii))

शारखण्ड सरकार,
कार्षिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प - 5216
31/8/10

राज्य के सरकारी सेवाओं/पदों का वर्गीकरण।
फिटर कामिदि की अनुशंसा के परिपेक्ष्य में राज्यकर्मियों के छठे वेतन के आलोक में केन्द्र के अनुसूच्य राज्य के सरकारी सेवाओं/पदों को निम्नांकित रूप से वर्गीकृत किया जाता है -

पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
1 निम्नालिखित ग्रेड वेतनों वाला पद - 37,400-57,000/- ₹0 वेतनमान में वेतन बैंड-IV में 10,000/- ₹0, 8,900/- ₹0 एवं 8,700/- ₹0 तथा 15,600-34,100/- ₹0 में वेतन बैंड- III में 7,800/- ₹0, 6,600/- ₹0 एवं 5,400/- ₹0	समूह 'ख'
2 निम्नालिखित ग्रेड वेतनों वाला पद - 9,300-34,800/- ₹0 के वेतनमान में वेतन बैंड- II में 5,400/- ₹0, 4,800/- ₹0, 4,500/- ₹0 एवं 4,200/- ₹0	समूह 'ख'
3 निम्नालिखित ग्रेड वेतनों वाला पद - 5,200-20,200/- ₹0 के वेतनमान में वेतन बैंड- I में 2,800/- ₹0, 2,400/- ₹0, 2,000/- ₹0, 1,900/- ₹0 एवं 1,800/- ₹0	समूह 'ग'
4 निम्नालिखित ग्रेड वेतनों वाला पद - 4,440-7,440/- ₹0 के वेतनमान में -1एस वेतन बैंड में 1,300/- ₹0, 1,400/- ₹0, 1,600/- ₹0 एवं 1,650/- ₹0	समूह 'घ'

सचिव विप का कार्यालय
कार्यालय, सचिव
पत्र व्यवस्था संख्या 498
दिनांक 27/9/10

- आदेश :
- अखिल भारतीय सेवाओं के सभी पद समूह 'क' के समझे जायेंगे।
 - यदि किसी सेवा/संवर्ग को नियमावली में वर्गीकरण संबंधी कोई प्रावधान न हो तो प्रासंगी विभाग उसे तदनुकूल संशोधित कर लेगा।
 - यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को शारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जनकाशी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रांतीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनाार्थ भेजी जाय।

शारखण्ड राजपत्र के आदेश से,
27/8/2010
(आदित्य स्वामी)
सरकार के प्रधान सचिव।

* नोट :- विप विभाग के संकल्प संख्या 1859/वि० दिनांक 02.09.2011 द्वारा समूह 'घ' के अन्तर्गत ग्रेड में 1,300/-, 1,400/- एवं 1,600/- को उच्चमित कर दिया गया है।

